बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संचिका सं0–नि0को0 (भागलपुर)–02–51/2018– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–4799/रा0, दिनांक–13.12.2019 द्वारा **श्री संजीव कुमार, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, जगदीशपुर, भागलपुर** के विरूद्ध आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया है जिसमें परिवादी श्रीमती रेखा सिंह, पति–श्री विजय सिंह, ग्राम–कोरचक्का, जयरामपुर, बिहपुर के द्वारा वर्ष 2014 में लोकायुक्त बिहार, पटना को एक आवेदन देकर, तत्कालीन राजस्व कर्मी श्री कपिलदेव महतो पर दाखिल खारिज करने के एवज में मो0 10,000/–(दस हजार) रूपये रिश्वत मांगने का आरोप, परिवादी द्वारा आर0टी0पी0एस0 के तहत दिये गये आवेदन का आर0टी0पी0एस0 पंजी में उल्लेख है लेकिन उससे संबंधित दाखिल खारिज पंजी एवं अभिलेख अंचल कार्यालय, जगदीशपुर में अनुपलब्ध पाया गया, जो तत्कालीन अंचल निरीक्षक के गलत मंशा को परिलक्षित करता है, उनके द्वारा बिहार दाखिल खारिज अधिनियम से संबंधित नियमों का घोर उल्लंघन करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–232(नि0को0), दिनांक–17.02. 2022 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा कार्यालय, अंचल अधिकारी, जगदीशपुर, भागलपुर के पत्रांक–1261 दिनांक–07.09.2020 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–1550(15) दिनांक–27.09.2022 द्वारा समाहर्त्ता, भागलपुर से मंतव्य की मांग की गयी। समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–94(प्र0)/रा0 दिनांक–29.08.2023 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ जिसमें आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण अस्वीकृत पाया गया।

4. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों, आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं समाहर्त्ता, भागलपुर से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन करने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प सं0–2167(15) दिनांक–18.12.2023 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, भागलपुर को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भागलपुर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–35/वि0जॉ, दिनांक–05.06.2025 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को

उपलब्ध कराया गया। प्रतिवेदित आरोपों एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम के समीक्षोपरान्त असहमति के बिन्दु यथा –"**जिलाधिकारी, भागलपुर के मंतव्य से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा परिवादी के आवेदन की विधिवत जॉच की गयी और न ही परिवादी के आवेदन पर शंकरनाथ मजूमदार द्वारा दिये गये आपत्ति पत्र के संदर्भ में जाँच किया गया, जो दाखिल–खारिज नियमों का उल्लंघन है**" के संदर्भ में श्री कुमार से विभागीय पत्रांक–1844 (15) दिनांक–16.10.2025 से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोढ़ा, कटिहार के पत्रांक–4268 दिनांक–28.11.2025 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया।

6. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार का द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन के अवलोकन/समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा "चेतावनी" देते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री संजीव कुमार, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, जगदीशपुर, भागलपुर सम्प्रति अंचल अधिकारी, कोढ़ा, कटिहार को "**चेतावनी**" देते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– नि0को0 (भागलपुर)–02–51/2018–691(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–26/5/26

✓स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, भागलपुर को उनके पत्रांक–4799/रा0, दिनांक–13.12.2019 के प्रसंग में/समाहर्त्ता, कटिहार/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर एवं कटिहार/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/श्री संजीव कुमार, अंचल अधिकारी, कोढ़ा, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/5/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Sanjeev kumar (CI_jagdishpur_Bhagalpur)_Chetavani.doc